क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कार्यालय, पूर्णिया प्रमण्डल पूर्णिया।

–: कार्यालय आदेश :–

वाहन सं0–JH09AH7266 के वाहन स्वामी द्वारा गलत तरिके से किये गये शमन एवं अवैध राशि की मांग किये जाने के विरूद्ध दिये गये आवेदन पर कार्यालय पत्रांक–1670 दिनांक–27.11.2024 एवं पत्रांक–1705 दिनांक–03.12.2024 द्वारा साक्ष्य के साथ सुनवाई हेतु क्रमशः दिनांक–03.12.2024 एवं 20.12.2024 को उपस्थित होने हेतु निदेशित किया गया तथा कार्यालय पत्रांक–1643 दिनांक–21.11.2024 द्वारा श्री राम जनम, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया से स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया। अक्त के आलोक में उनके द्वारा सतर्पित स्पष्टीकरण एवं आवेदक द्वारा समर्पित आवेदन में अंकित तथ्य और साक्ष्यो (आडियो क्लीप सहित) के आधार पर मामले के समीक्षोपरांत यह परिलक्षित होता है कि श्री राम जनम, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कार्यालय, पूर्णिया द्वारा वाहन सं0–JH09AH7266 पर शमन अधिरोपित करने से पूर्व वाहन के कागजातों के सूक्षमता से जॉच नही की गई है। समीक्षा के क्रम में परिवहन एप पर वाहन से संबंधित सभी कागजात अद्यतन पाये गये। श्री राम जनम, मोटरयान निरीक्षक के द्वारा अपने प्रतिवेदित किया है कि उक्त वाहन का रीट्रेशेबल एक्सल उठा हुआ था और वाहन अपनी सीमा से अधिक लदान भार लेकर चल रहा था जो MV ACT, परमिट की शर्त एवं अधिसूचना सं0–2696 दिनांक–16.07.2018 का उलंधन है किन्तु इनके द्वारा इससे संबंधित कोई साक्ष्य संकलित नहीं किया है वाहन ओभरलोड होने की स्थिति में इनके वजन का कॉंटा कराया जाना भी आवश्यक था जो नहीं कराया गया। वाहन स्वामी द्वारा चालक का वैद्य चलाक अनुज्ञप्ति भी आवेदन के साथ संलग्न किया गया है। आवेदन के साथ संलग्ल आडियों Clip के श्रवण से अवैध राशि के लेनदेन की बात से इनकार नहीं किया जा सकता है तथापि इसके प्रमाणिकता के सत्यापन की आवश्यकता है।

उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि वाहन के शमन के क्रम में श्री राम जनम, मोटरयान निरीक्षक के द्वारा गंभीरता से वाहन के कागजातों की जॉच नहीं की गई है और न ही वाहन के ओभरलोड से संबंधित कोई साक्ष्य संकलित किया गया है।

श्री राम जनम, मोटरयान निरिक्षक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में सभी आरोपो को बेबुनियाद बताया है लेकिन श्री राम जनम द्वारा उक्त वाहन की जॉच प्रक्रिया में विभागीय नियमो का अनुपालन नहीं किया गया है। अधिरोपित शमन प्रक्रिया भी विवादास्पद है। परिवाद के साथ संलग्न साक्ष्य/ आडियो clip की प्रमाणिकता यद्यपी स्थापित नहीं है किन्तु मोटरयान निरीक्षक का यह Action सम्पूर्ण प्रकरण को विवादग्रस्त कर देने एवं संबंधित पदाधिकारी के द्वारा विभागिय निदेश का अनुपालन सम्यक रूप से नहीं करने से अधिरोपित शमन पुनर्विचार का विषय हो जाता है। अतएव वाहन सं–JH09AH7266 पर अधिरोपित शमन परिवहन विभाग के संदर्भित संबंधित पत्र के आलोक में श्री राम जनम को उक्त चलान के संशोधन/निरस्तीकरण का प्रस्ताव तीन दिनों के अंदर परिवहन विभाग को भेजा जाना सुनिश्चित किये जाने का निदेश दिया जाता है।

उक्त प्रकरण हेतु श्री राम जनम, मोटरयान निरीक्षक को भविष्य के लिए सचेत किया जाता है। इस तरह के दृष्टांत पुनः संज्ञान में आने पर परिवहन विभाग को अनुशानिक कार्रवाई हेतु प्रतिवेदित कर दिया जाएगा।

ह०/–

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक 71 / **दिनांक** 11-01-2025

प्रतिलिपिः–(1.) राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः–(2.) संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः–(3.) श्री रामजनम मोटरयान निरीक्षक, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः–(4.) श्री रमेश कुमार, पता– तारानगर चास बोकारो को सूचनार्थ प्रेषित।

11.1.25

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।